

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] No. 110] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2019/माघ 30, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2019/MAGHA 30, 1940

खान मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 126(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- **2.** परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाना है) में, नियम 2 के उप-नियम (1) के, खंड (इ) में 'विभाग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट तथा अधिसूचित किया जाएगा' शब्दों के स्थान पर 'यथा-विनिर्दिष्ट' शब्द को रखा जाएगा।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-
 - **"36 अनुसूची क का संशोधन करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति** केंद्रीय सरकार, विभाग के साथ परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा **अनुसूची क** का अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में संशोधन कर सकेगी, जिससे कि थ्रेशहोल्ड वैल्यू का संशोधन किया जा सके।"

[फा.सं. 1/1/2019-एम.VI]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 677(अ), तारीख 11 जुलाई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

1097 GI/2019 (1)

MINISTRY OF MINES NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

G.S.R. 126(E).— In exercise of the powers conferred under section 11B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Atomic Minerals Concession (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Atomic Minerals Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (m), for the words "to be specified and notified by the Department from time to time", the words "as specified" shall be substituted.
- 3. In the said rules, for rule 36, the following rule shall be substituted, namely:-
 - **"36. Power of the Central Government to amend Schedule A.–** The Central Government may, in consultation with the Department, by notification in the Official Gazette, amend **Schedule A** so as to amend the threshold value, as may be specified in the notification."

[F. No. 1/1/2019-M.VI]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The Atomic Mineral Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 677(E), dated 11th July, 2016.